भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.464/राजस्थान-वि.सभा/वीएस/2018-एनएस-I   दिनांक : 14 अगस्त, 2018

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयुपर।

विषय : राजस्थान की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन-बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण - तत्संबंधी।

महोदय,

आपका ध्यान निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण के संबंध में आयोग के दिनांक 21 मार्च, 2014 के अनुदेश सं. 464/अनु.-वीएस/2014-ईपीएस, के पैरा (ङ) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार है :-

''(ङ) निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), बीएलओ द्वारा फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण हेतु अनुसूची तैयार करेंगे। इस अनुसूची की एक प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों, सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों(बीएलए), यदि वे नियुक्त किए गए हैं, और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा उनके एजेंटों को पावती के अंतर्गत दी जाएगी।

2. इसके अतिरिक्त, आयोग यह निदेश भी देता है कि रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त उल्लिखित अनुसूची अग्रिम रूप से पहले ही दे दी जाएगी और सभी बीएलओ द्वारा इसका पालन सख्ती से किया जाएगा।

3. इसे अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार शर्मा)
सचिव